

ग्राहक: एव राजा



अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

कार्यवृत्त 2015-16

संगठनात्मक

1- संगठनात्मक स्थिति

प्रान्त	सक्रिय प्रान्त	जिले	सक्रिय जिले	जिले सहित कुल ईकाइयाँ
39	36	492	183	756

2- सदस्यता अभियान

ग्राहक पंचायत में वार्षिक सदस्यता होती है। वर्तमान में 36 प्रांतों के 183 जिलों में 5240 सदस्य हैं।

3- बैठकें

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साधारण सभा, कार्यकारी परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। प्रान्त में त्रैमासिक, जिला बैठकें मासिक एवं इकाई स्तर के कार्यकर्ताओं की साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4- ग्राहक मार्गदर्शन केन्द्र

ग्राहकों की समस्याओं के निवारण एवं प्रबोधन हेतु ग्राहक मार्गदर्शन केन्द्र बनाए गए हैं। वर्तमान में 12 प्रांतों के 52 जिलों में 143 ग्राहक मार्गदर्शन केन्द्र कार्यरत है।

5- अभ्यास वर्ग

प्रान्त स्तर के दायित्ववान कार्यकर्ताओं हेतु क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग जिला स्तर के कार्यकर्ताओं हेतु अभ्यास वर्ग 8 प्रान्तों में संपन्न हुआ।

6- विशेष कार्य योजना

1. कार्य के राष्ट्रव्यापी स्वरूप हेतु देश के 105 स्थान चिह्नित किये गए हैं। जहाँ कार्य विस्तार पर विशेष ध्यान देते हुए दृढ़ीकरण हेतु 9 बिन्दु भी तय किये गये हैं। कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु संघ रचनानुसार क्षेत्र रचना बनाई गई है।

कार्यक्रमात्मक

विचार गोष्ठियाँ 22 प्रान्तों की 75 से अधिक ईकाइयों में 189 से अधिक विचार गोष्ठियाँ, सेमीनार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राहक प्रबोधन हेतु 22 से अधिक विषय लिये गये।

ग्राहक दिवस एवं जागरण रैलियाँ ग्राहक दृष्टि विकसित करने हेतु मध्य भारत, मालवा, महाकौशल, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, देवगिरी, विदर्भ, जयपुर, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश सहित 22 प्रान्तों में ग्राहक जागरण रैलियाँ निकाली गई एवं 28 प्रान्तों के 60 जिलों में 98 स्थानों पर ग्राहक पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम सम्पन्न हुए।

स्टाल एवं प्रदर्शनी ग्राहक जागरण, प्रबोधन हेतु मैट्रो, रेलवे, बस स्थानकों, सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों, कोचिंग संस्थाओं के बाहर 15 प्रान्तों में 211 से अधिक स्टाल एवं मेलों में प्रदर्शनियाँ लगाई गयी।

ज्ञापन प्रान्त, जिला एवं तहसील स्तर पर 21 प्रान्तों में 72 से अधिक स्थानों पर विभिन्न स्तर पर ग्राहक हित में विभिन्न विषयों जैसे- दूर संचार, गैस सब्सिडी, बिजली-पानी, रेल एवं सड़क यातायात की समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपे गये।

व्याख्यान मालायें एकात्म मानववाद, अर्थ क्रांति, आर्थिक व्यवस्था, ग्राहक जागरण, ग्राहक नीति जैसे विषयों पर 36 शहरों में व्याख्यान मालायें आयोजित की गई, जिसमें अर्थशास्त्रियों का मार्गदर्शन, प्रबोधन ग्राहक कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ।

RTI सूचना के अधिकार के अधिक से अधिक प्रयोग हेतु जन-जागरण के साथ-साथ ग्राहक पंचायत के 23 प्रान्तों में 315 से अधिक RTI लगाई गई है।

समर्पण दिवस ग्राहक पंचायत स्वामी विवेकानन्द जी के जन्मदिवस 12 जनवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाती है। जिसमें कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद जी का पूजन करने के साथ सहयोग राशि का समर्पण करते हैं। जिसका प्रयोग संगठन संचालन में किया जाता है इस बार 14 प्रांतों के 40 जिलों में समर्पण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

रक्षासूत्र बंधन ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता कानून के पालन कराने वाले अधिकारियों से संपर्क करते हैं। इस बार रक्षा बंधन के कार्यक्रम के तहत 7 प्रांतों के लगभग 187 स्थानों में अधिकारियों से संपर्क हुआ।

जनवाणी / ग्राहक संवाद के कार्यक्रम ग्राहकों के प्रबोधन एवं समस्या निवारण के लिए जनवाणी के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं इस बार 14 प्रान्तों के 35 जिलों में 70 स्थानों पर जनवाणी / ग्राहक संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

रचनात्मक

प्रकाशन मध्यप्रदेश से त्रैमासिक पत्रिका “ग्राहक अर्थ”, ओडीशा प्रान्त से “ग्राहक संदेश” दिल्ली प्रान्त से “ग्राहक चिंतन” प्रकाशित की जाती है। अन्य प्रान्तों में भी समय समय पर स्मारिका का प्रकाशन किया जाता है। ग्राहक प्रबोधन हेतु समय-समय पर अन्य साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण किया जाता है।


सोशल मीडिया www.grahaksewa.org हिन्दी में तथा www.abgptn.com अंग्रेजी में संचालित हो रही है। सोशल मीडिया ग्राहकों के प्रबोधन, मार्गदर्शन, सहयोग एवं सम्पर्क हेतु सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम जैसे कि WhatsApp, Twitter, Facebook आदि का उपयोग किया जा रहा है।

आंदोलनात्मक

- 1. शुद्ध के लिए युद्ध :** “शुद्ध के लिए युद्ध” अनवरत रूप से जारी है और प्रत्येक ग्राहक को शुद्ध एवं ग्राह्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु ग्राहक पंचायत प्रतिबद्ध है।
- 2. रेलवे (i) सुपर फास्ट चार्ज:-** रेलवे ने बिना सुविधा विस्तार के अनेकों एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट की श्रेणी में डाल दिया और अनुचित रूप से सुपरफास्ट चार्ज वसूला जाने लगा, जिसका तमिलनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब सहित 12 प्रान्तों में विरोध किया गया और ट्रेनों से यह चार्ज हटवाने में सफलता प्राप्त हुई।
(ii) **खान-पान, स्वच्छ जल उपलब्धता एवं स्वच्छता:-** रेलवे में खान-पान की खराबी, MRP से अधिक मूल्य पर विक्रय, स्वच्छ जल की उपलब्धता जैसे विषयों में तमिलनाडू से लेकर जम्मू-कश्मीर व महाराष्ट्र के प्रान्तों से लेकर मध्य प्रदेश व बिहार एवं उत्कल के प्रान्तों में गंभीरता पूर्वक उठाया गया। कई अवसरों पर रेलवे को दण्डित करते हुए न्यायमंच से ग्राहकों को समुचित राशि भी प्रदान कराने में सफलता प्राप्त हुई।
(iii) **सुरक्षा:-** रेलवे में यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु रेलमंत्री जी एवं सम्बंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया व 100 से अधिक ज्ञापन सौंपे गये।

6. **किसान मेले, कृषक जागरण एवं किसानों के मुआवजे** : पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, देवगिरी, विदर्भ, मालवा, मध्य भारत, महाकौशल, उत्कल सहित 18 प्रांतों में कृषक जागरण हेतु कार्य किया गया। किसान सहायता केन्द्रों, किसान मेलों के माध्यम से कृषकों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ उनके प्रबोधन का कार्य भी किया जा रहा है।
7. **रसोई गैस की सप्लाई एवं गैस एजेंसियों की मनमानी** : गैस एजेंसियों की मनमानी और रसोई गैस की अनुपलब्धता, कम वजन की समस्या के समाधान हेतु पूरे देश में प्रयास किया गया। मध्य भारत, महाकौशल, मालवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्कल, बिहार आदि प्रान्तों में प्रमुखता से यह विषय लिया गया।
8. **बिजली की समस्या** : 20 प्रान्तों में बिजली की समस्याओं जैसे ओवर बिलिंग, मीटर की खराबी, अनुचित सरचार्ज व पेनाल्टी आदि को उठाया गया। ग्राहक जागरण, विरोध प्रदर्शन, पत्राचार, ज्ञापन, पत्रक वितरण आदि माध्यमों को अपनाते हुये समस्या के समाधान का प्रयास किया गया।
9. **स्वच्छ जल की उपलब्धता** : जल के निजीकरण का लगातार विरोध किया जा रहा है। बोतल बंद पानी को हतोत्साहित करते हुए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों व सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में पत्राचार किया गया, ज्ञापन सौंपे गये, जन प्रतिनिधियों को समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन दिया गया।
10. **विविध** : कॉल ड्राप, इंटरनेट रेट, नेट न्यूट्रैलिटी, फ्री रोमिंग, सेट टाप बाक्स की अनियमितता, भ्रामक विज्ञापन एवं अश्लील प्रसारण, संपत्तिकर की अनियमितता, बिल्डरस के विरुद्ध शिकायतें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियाँ, सड़क एवं टोल टैक्स जैसे विषयों पर ईकाइयों में कार्य किया गया है।

हमारा संकल्प : शोषण मुक्त समाज



स्थापना: सितम्बर 1974

(पंजी. क्र. S/9194 Delhi)

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

690, ग्राउंड फ्लोर, गली नं. 21, फैज़ रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

दूरभाष : 011-64623015 ईमेल : grahakevraja@gmail.com